वादिगण एवं प्रतिवादी ख० 1 के 6 के संयुक्त खातेदारी में कृषि
है जिसकी तारीख प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी भी गवाह
सम्वत 2069 से 2072 से होती है। तहसीलदार भीलवाड़ा के प्रार
विभाजन स्कीम की रिपोर्ट के अनुसार वादिगण के संयुक्त खाते
में से रकबे हिस्से में आने वाली भूमि का विभाजन करा
जिसकी तारीख प्रस्तुत जमाबंदी भी गवाह में दिनांक सेटलमेंट के
1984 बंदोबस्त 7-4-17 से होती है जिसमें वादिगण ने समझौते
का ध्यान कर दिया, तथा खाता हीरालाल पुत्र गणेश की
बजाय चन्दी W/o हीरालाल गवाह 1/2 के नाम दर्ज करने की
स्वीकृति दी। वादिगण ने वाद पत्र 3-8-15 को प्रस्तुत किया। तथा
पेशगी के वादिगण का हिस्सा भी चन्दी W/o हीरालाल
गवाह के नाम दर्ज हो जाने से वादिगण धारा 53-188 R.T.A.
के तहत किसी प्रकार की दावरसी प्राप्त नहीं कर सकती है।
अतः न्याय हित में वादिगण का वाद पत्र धारा 53-188 R.T.A.
को लिए करने में असफल रहने से वादिगण का वाद पत्र
खारीज किया जाता है। पक्षावली में कमल कुमार की जाकर
दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner